उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 49/2020/541/92-2-20-35जांच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 17 फरवरी,2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ में वर्ष 2016-17 में चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में बरती गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-105/2018/2065/92-2-18-35जांच/18 दिनांक 08-08-2018 द्वारा श्री सतीश कुमार मित्तल, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभि0वि0, परि0-मेरठ के पत्र सं0-1909/ग्रा0अ0वि0/ एस0टी0/ अनु0जांच-श्री सतीश मित्तल/ 2018-19 दि0 07.02.2019 द्वारा शासन को उपलबध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप में शासकीय क्षति का आरोप उन पर सिद्ध नही पाया गया। परन्तु अपने पदानुरूप अपने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के फलस्वरूप अधोमानक कार्य कराने के लिये उन्हें उत्तरदायी पाया गया है।

2- अत: अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप जिसमें उन्हें शासकीय क्षति हेतु उत्तरदायी न पाये जाने एवं अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने हेतु अपचारी अधिकारी के दि0 31.03.2017 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी, श्री सतीश कुमार मित्तल, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-105/ 2018/2065/92-2-18-35जांच/2018 दि0 08-08-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-49/2020/541/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री सतीश कुमार मित्तल, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति से0नि0 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in